Supreme Court of India - 75 Years

By the start of the 18th century, judicial administration in the three presidency towns was poised for significant transformation, including the establishment of a formal court hierarchy and the setting up of the Supreme Court of Judicature in 1823. Subsequently, the Indian High Courts Act of 1861 led to the creation of three High Courts in Calcutta, Bombay, and Madras in 1862. Each court has made its mark on the legal history of India, producing prominent lawyers and judges and establishing precedents foundational to the common law system in the country.

During the first session of the Indian Round Table Conference in London in November 1930, a pivotal announcement was made by representatives of the Indian States. They declared their readiness to federate with British India, provided the proposed federation remained free from British control. Lord Chancellor Lord Sankey emphasized that a Federal Court was essential in a federal system of government.

The second session of the conference saw the federal structure committee submits its Third Report, which included provisions for establishing a Federal Court. The Government of India Act of 1935 consequently set up a Federal Court with original and appellate jurisdiction, extending its authority over disputes involving the Provinces and the Provincial High Courts, aimed at reducing Indian appeals to the Privy Council by shifting them to an indigenous appellate court.

The Constituent Assembly of India was formed in 1946 by the British Cabinet Mission Plan, outlining the assembly's functions and structure. Following India's independence on 15 August 1947, the Abolition of Privy Council Jurisdiction Bill was introduced in 1949. During discussions, Shri Alladi Krishnaswami Ayyar expressed hope that both the Federal Court and the Supreme Court would develop jurisprudence that reflected the ethos of the Indian people.

The Supreme Court of India was established on 28 January 1950, two days after India became a Sovereign Democratic Republic. The inaugural ceremony took place in the Chamber of Princes in the Parliament building, the Federal Court's home from 1937 to 1950. The Court later moved to its present building in 1958, which is designed to symbolize the scales of justice. The Central Wing represents the Centre Beam of the Scales, with two new wings added in 1979. There are now 19 courtrooms across these wings.

Initially, the Constitution of 1950 envisaged a Supreme Court with a Chief Justice and 7 puisne Judges, with the provision for Parliament to increase this number. Over the years, as case backlogs accumulated, the number of Judges has been increased periodically, with the current strength at 34. Judges now typically sit in smaller Benches, except in matters of constitutional importance where larger Benches are convened.

The Supreme Court of India includes the Chief Justice and up to 33 other Judges, appointed by the President. Judges retire at the age of 65. To be appointed, a candidate must be a citizen of India with at least five years as a High Court Judge or ten years as a High Court Advocate, or be recognized as a distinguished jurist by the President. The independence of the Judges is protected by the Constitution, which stipulates that a Supreme Court Judge can only be removed by a presidential order following a parliamentary majority.

The Supreme Court has original, appellate, and advisory jurisdiction. Its exclusive original jurisdiction covers disputes involving the Government of India and the States, or among States themselves, especially if these disputes involve legal rights. The Supreme Court also has extensive appellate jurisdiction over civil and criminal cases from High Courts and can grant special leave to appeal under Article 136. Its advisory jurisdiction allows it to consider matters referred by the President under Article 143.

Public Interest Litigation (PIL) is a unique aspect of the Supreme Court, allowing any individual or group to bring matters of public interest directly to the court. The concept has led to many landmark cases. Additionally, provisions for legal aid are available for those unable to afford legal representation, ensuring access to justice.

The Supreme Court has original, appellate, and advisory jurisdiction. Its exclusive original jurisdiction extends to any dispute between the Government of India and one or more States or between the Government of India and any State or States on one side and one or more States on the other or between two or more States, if and insofar as the dispute involves any question (whether of law or fact) on which the existence or extent of a legal right depends. In addition, Article 32 of the Constitution gives extensive original jurisdiction to the Supreme Court in regard to enforcement of Fundamental Rights.

Department of Posts is proud to issue a Commemorative Postage Stamp on the Supreme Court of India and its contribution in the Indian judicial system, shaping the legal landscape of the nation while upholding the rule of law and the rights of its citizens.

Credits:

Stamp/FDC/Brochure/ Cancellation Cachet	:	Ms. Nenu Gupta
Text	:	Based on information received from Supreme Court of India

भारतीय डाक
India Post

डाक विभाग
Department of Posts



भारत का सर्वोच्च न्यायालय - 75 वर्ष
SUPREME COURT OF INDIA - 75 YEARS

विवरणिका BROCHURE

भारत का सर्वोच्च न्यायालय-75 वर्ष

18वीं शताब्दी के आरंभ में, तत्कालीन तीन प्रेसिडेंसी क्षेत्रों के विधिक प्रशासनिक तंत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आकार ले रहे थे। इसमें न्यायालयों का औपचारिक पदानुक्रम और 1823 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का कार्य शामिल था। तत्पश्चात, वर्ष 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत, वर्ष 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में तीन उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। इसमें से प्रत्येक न्यायालय ने भारत के विधिक इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इन न्यायालयों ने अनेक प्रतिष्ठित अधिवक्ता और न्यायाधीश दिए हैं तथा देश की समान विधिक प्रणाली के लिए आधारभूत दृष्टांत स्थापित किए हैं।

नवंबर, 1930 में लंदन में भारतीय गोलमेज सम्मेलन के पहले सत्र के दौरान, भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के साथ एक संघ की स्थापना पर अपनी सहमति व्यक्त की बशर्ते कि वह प्रस्तावित संघ, ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त रहे। लॉर्ड चांसलर लॉर्ड सेंकी ने इस बात पर जोर दिया कि संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत संघीय (फेडरल) न्यायालय का होना अत्यावश्यक है।

सम्मेलन के दूसरे सत्र में संघीय संरचना समिति ने अपनी तीसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें संघीय न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान शामिल थे। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत, मूल और अपीलीय न्यायाधिकार वाले एक संघीय न्यायालय का गठन किया गया और प्रांतों एवं प्रांतीय उच्च न्यायालयों से जुड़े विवादों को इसके अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय अपीलों को स्वदेशी अपीलीय न्यायालय में स्थानांतरित कर प्रिवी काउंसिल में पहुंचने वाली अपीलों की संख्या को कम करना था।

वर्ष 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। साथ ही संविधान सभा के कार्यों और उसकी संरचना की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई थी। 15 अगस्त, 1947 को भारत के आजाद होने के बाद, वर्ष 1949 में, प्रिवी काउंसिल अधिकार क्षेत्र उन्मूलन विधेयक पेश किया गया। इस पर चर्चा के दौरान, श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने आशा व्यक्त की, कि संघीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही, एक ऐसा न्यायशास्त्र विकसित करेंगे जो भारतीय लोकाचार को प्रतिबिंबित करने वाला होगा।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद अर्थात 28 जनवरी 1950 को हुई। इसका उद्घाटन समारोह संसद भवन के 'चैंबर ऑफ प्रिंसेस' में हुआ था। वर्ष 1937 से 1950 तक संघीय न्यायालय इसी चैंबर में स्थापित था। तत्पश्चात, वर्ष 1958 में सर्वोच्च न्यायालय को उसके मौजूदा भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। इस भवन को न्याय के तराजू के प्रतीक की तरह डिजाइन किया गया है। इसका सेंट्रल विंग, तराजू के सेंटर बीम को दर्शाता है। वर्ष 1979 में इस भवन में दो नए विंग जोड़े गए। अब इन विंग्स में कुल 19 न्यायालय कक्ष (कोर्ट रूम) मौजूद हैं।

आरंभ में, वर्ष 1950 में पारित संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अवर न्यायाधीशों वाले सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें संसद द्वारा इस संख्या को बढ़ाए जा सकने संबंधी प्रावधान शामिल था। समय के साथ–साथ, जैसे–जैसे लंबित मामलों की संख्या बढ़ती गई, न्यायाधीशों की संख्या में भी समय–समय पर बढ़ोतरी की गई। वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। संवैधानिक महत्व के मामले, जिनमें बृहद् पीठ गठित की जाती हैं; को छोड़कर, न्यायाधीश अब प्रायः छोटी–छोटी पीठों के माध्यम से न्यायनिर्णयन करते हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के साथ–साथ 33 अन्य न्यायाधीश हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु, अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम पाँच वर्ष अथवा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या उसे राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित न्यायविद के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता संविधान द्वारा संरक्षित है, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद में बहुमत से निर्णय लेकर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय को मूल, अपीलीय और परामर्शी न्यायाधिकार प्राप्त है। भारत सरकार और राज्यों, अथवा राज्यों के बीच के आपसी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल न्यायाधिकार के अंतर्गत आते हैं, विशेषकर तब जबकि ये विवाद विधिक अधिकारों से जुड़े हुए हों। सर्वोच्च न्यायालय के पास उच्च न्यायालयों के दीवानी और दांडिक मामलों पर व्यापक अपीलीय न्यायाधिकार भी हैं और वह, अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने हेतु विशेष अनुमति दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्यायाधिकार उसे अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामलों पर विचार करने की अनुमति देता है।

जनहित याचिका (पीआईएल) सर्वोच्च न्यायालय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, जो किसी भी व्यक्ति या समूह को जनहित के मामलों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। पीआईएल की इस व्यवस्था के अंतर्गत कई ऐतिहासिक मामलों का न्यायनिर्णयन किया गया है। इसके अलावा, विधिक सेवाओं का खर्च वहन करने में असमर्थ व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि सभी व्यक्तियों के लिए न्याय की सुलभता सुनिश्चित की जा सके।

अंतिम अपीलीय प्राधिकरण होने के नाते, सर्वोच्च न्यायालय देशभर में न्यायिक व्याख्या की एकरूपता सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय परामर्शकारी निकाय होने के नाते महत्वपूर्ण विधिक अथवा जनहित के मामलों में राष्ट्रपति को गैर–बाध्यकारी सलाह प्रदान करता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में अनन्य न्यायाधिकार प्रदान करता है। अतः कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की ये विविध भूमिकाएँ, देश में विधि सम्मत शासन बनाए रखने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने में इस न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती हैं।

डाक विभाग, भारत के सर्वोच्च न्यायालय पर स्मारक डाक–टिकट जारी करते हुए गर्व का अनुभव करता है। भारतीय न्याय प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय के योगदान के साथ–साथ भारत में विधि सम्मत शासन एवं नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखते हुए देश के विधिक परिदृश्य को आकार देने में इसकी महती भूमिका के प्रति सम्मान प्रकट करता है।

आभार :

डाक–टिकट/प्रथम दिवस आवरण/विवरणिका/विरूपण कैशे पाठ : श्रीमती नीनू गुप्ता

: भारत के सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त सामग्री के आधार पर

तकनीकी आंकड़े

TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग	: 1000 पैसे
Denomination	: 1000 p
मुद्रित मिनियेचर शीट	: 211000
Miniature Sheets Printed	: 211000
मुद्रण प्रक्रिया	: वेट ऑफसेट
Printing Process	: Wet Offset
मुद्रक	: प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	: Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at Philately Bureaus across India and online at http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the Stamp, First Day Cover and Information Brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 5.00